न्यायालय अतिरिक्त सभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बइजलास ममता कुमारी तिवारी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 171/2024/अपील/एलआरएक्ट/कोटा
दायरा दिनांकः 11.07.2024
अन्तर्गत धाराः 76 राज0भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

जानकीलाल पुत्र श्री बजरंगलाल जाति गुर्जर निवासी–मकान नम्बर 4–डी–15, रंगबाडी कोटा राजस्थान

....अपीलार्थी

बनाम

तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा राजस्थान

....रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री रविन्द्र खण्डेलवाल, अभिभाषक –अपीलांट
पेरोकार सरकार – रेस्पो0

::निर्णय::

दिनांक 24.04.2025

अपीलार्थी ने न्यायालय जिला कलक्टर, कोटा द्वारा प्रकरण सं0 58/2022(अपील) उनवान जानकी लाल बनाम तहसीलदार लाड़पुरा में पारित निर्णय दिनांक 13.02.2024 के विरूद्ध द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1. प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, कोटा के समक्ष तहसीलदार, लाड़पुरा के प्रकरण संख्या 337/06 आदेश दिनांक 04.06.2007 के विरूद्ध भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 अन्तर्गत अपील पेश की गई कि ग्राम मोतीपुरा पटवार मण्डल हल्का धाकड़खेड़ी तहसील लाडपुरा कोटा स्थित खातेदार खसरा सं0 99 की रकबा 2.43 है0 पर खातेदार द्वारा कृषि कार्य नहीं करके मिट्टी खुदाई कार्य करने पर तहसीलदार लाड़पुरा द्वारा धारा 90ए के तहत कार्यवाही करते हुए आदेश दिनांक 04.06.2007 से उक्त भूमि सिवायचक दर्ज की गई। जबकि अपीलांट द्वारा भूमि के उबड़–खाबड़ होने से समतल करने के कारण खुदाई कार्य किया था। तहसीलदार लाड़पुरा द्वारा उक्त आदेश दिनांक 04.06.2007 बिना सूचना एवं सुनवाई का अवसर दिये

अति. संभागीय आयुक्त
कोटा

बिना ही पारित किया गया है। प्रस्तुत अपील में अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, कोटा द्वारा अपील अपीलांट स्वीकार करने के ठोस आधार पत्रावली पर उपलब्ध नहीं होने से तथा मियाद बाहर होने से अपील अस्वीकार की जाकर निर्णय दिनांक 13.02.2024 से खारिज की गई।

2. अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, कोटा के उक्त निर्णय दिनांक 13.02.2024 से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 अन्तर्गत द्वितीय अपील पेश कर कथन किया गया कि निर्णय जेर अपील न्याय एवं संचिका मे सिद्धी प्राप्त तथ्यो के सर्वथा विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष यह भलीभांति स्पष्ट था कि न्यायालय तहसीलदार लाडपुरा द्वारा अपीलान्ट की उक्त भूमि के विरूद्ध धारा 90ए के तहत पारित उक्त आदेश दिनांक 04.06.2007 पटवारी हल्का की मनमानी व एक तरफा रिपोर्ट दिनांक 20.12.2006 के आधार पर पारित किया गया है। पटवारी हल्का द्वारा अपनी उक्त रिपोर्ट दिनांक 20.12.2006 में यह भी कहीं नही बताया गया है कि अपीलान्ट द्वारा अपने खाते की खसरा नम्बर 99 की 2.43 हैक्टर भूमि मे से कौनसी दिशा की व कौनसे विशिष्ट भू–भाग की 1.00 हैक्टर भूमि पर मिट्टी खुदाई कर अकृषि कार्य किया जा रहा है। जिससे यह स्पष्ट है कि अपीलान्ट के विरूद्ध अपनी खाते की उक्त भूमि पर मिट्टी खुदाई कर अकृषि कार्य किये जाने का आक्षेप प्रमाणित नही था और तहसीलदार लाडपुरा द्वारा उक्त आक्षेपित आदेश दिनांक 04.06.2007 मौके की वास्तविक रिपोर्ट मंगवाये बिना मौके का निरीक्षण किये बिना अपीलान्ट को पटवारी हल्का से जिरह का अवसर दिये बिना पूर्णतया आरबिटेट्री रूप से पारित किया गया है। किन्तु फिर भी अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय ने उक्त सभी तथ्यो को नजर अंदाज कर अपीलान्ट की अपील को स्वीकार करने के स्थान पर खारिज करने मे गंभीर कानूनी त्रुटि की है। अपीलान्ट उक्त भूमि जो बंजड अवस्था मे है, को समतल कर काश्तकार्य योग्य बनाना चाहता है उक्त भूमि अपीलान्ट की खरीदशुदा भूमि है, जिसका अपीलान्ट काश्तकार है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लाडपुरा द्वारा अपीलान्ट को उक्त प्रकरण मे कोई भी जानकारी नही दी गई और ना ही उसे सुनवाई का अवसर दिया और मनमर्जी व एक तरफा रूप से अपीलान्ट की अनुपस्थिति मे दिनांक 04.06.2007 को अपीलान्ट की भूमि को सिवायचक दर्ज करने का आक्षेपित आदेश पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लाडपुरा पर यह विधिक दायित्व था कि वह अपीलान्ट द्वारा जवाब प्रस्तुत किये जाने के पश्चात या तो स्वयं उक्त भूमि के मौके का निरीक्षण करते या उक्त भूमि के संबंध मे मौके की निष्पक्ष जांच रिपोर्ट पुनः तलब करते किन्तु तहसीलदार लााडपुरा द्वारा स्वंय मौके का निरीक्षण नहीं किया गया और ना ही मौके की निष्पक्ष रिपोर्ट पुनः तलब की गई और उक्त भूमि के संबंध मे स्वंय के समक्ष

24/04/2025
अति. सं. आयुक्त
कोटा

स्थिति स्पष्ट ना होते हुये भी मनमर्जी रूप से अपीलान्ट की 1.00 हैक्टर कृषि भूमि को सिवायचक दर्ज करने का गलत व गैरकानूनी आदेश पारित कर दिया जो खारिज किये जाने योग्य है। प्रथम अपीलीय न्यायालय पर यह विधिक दायित्व था कि वह सारवान न्याय की धारणा के संदर्भ मे उक्त भूमि की मौके की स्थिति स्वंय भी तलब करते, किंतु फिर अपील को खारिज करने मे गंभीर कानूनी त्रुटि की है। अपीलान्ट की उक्त भूमि आज भी अकृषि कार्य मे काम नही आ रही है उक्त भूमि को किसी भी प्रकार से अकृषि कार्य मे उपयोग मे नही लिया गया है। उक्त भूमि पर अपीलान्ट निरंतर काबिज काश्त चला आ रहा है, जिसके कारण दोनो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाकर अपीलान्ट के खसरा नम्बर 99 की 1.00 हैक्टर भूमि अपीलान्ट के खातेदारी मे दर्ज किये जाने योग्य है। अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील जानकारी व नकल मिलने की तिथि से अवधि मध्य पेश की गई थी और अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विलम्ब के संबंध मे पर्याप्त व संतोषजनक कारण प्रकट कर दिये गये थे। किन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा द्वारा अपीलान्ट की अपील को अवधि मध्य ना मानी जाकर खारिज किये जाने मे भी गंभीर कानूनी त्रुटि की हैं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर न्यायालय जिला कलेक्टर कोटा द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.02.2024 व न्यायालय तहसील लाडपुरा द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.06.2007 निरस्त किये जाकर ग्राम मोतीपुरा पटवार हल्का धाकडखेडी तहसील लाडपुरा कोटा की उक्त अपील विषयक खसरा नम्बर 99 की रकबा 1.00 हैक्टर भूमि पुनः अपीलान्ट के खाते दर्ज किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 पैरोकार सरकार सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को ही दोहराते हुए कथन किया कि न्यायालय तहसीलदार लाडपुरा द्वारा अपीलान्ट की उक्त भूमि के विरूद्ध धारा 90ए के तहत पारित उक्त आदेश दिनांक 04.06.2007 पटवारी हल्का की मनमानी व एक तरफा रिपोर्ट दिनांक 20.12.2006 के आधार पर पारित किया गया है। अपीलान्ट उक्त भूमि जो बंजड एवं उबड़–खाबड़ अवस्था मे है, को समतल कर काश्तकार्य योग्य बनाना चाहता है उक्त भूमि अपीलान्ट की खरीदशुदा भूमि है, जिसका अपीलान्ट काश्तकार है। मिट्टी खुदाई का कार्य 90ए की परिधि में नहीं आता है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लाडपुरा द्वारा अपीलान्ट को उक्त प्रकरण मे कोई भी जानकारी नही दी गई और ना ही उसे सुनवाई का

अति. संभाग आयुक्त
कोटा

अवसर दिया और मनमर्जी व एक तरफा रूप से अपीलान्ट की अनुपस्थिति मे दिनांक 04.06.2007 को अपीलान्ट की भूमि को सिवायचक दर्ज करने का आक्षेपित आदेश पारित कर दिया। अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील जानकारी व नकल मिलने की तिथि से अवधि मध्य पेश की गई थी और अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विलम्ब के संबंध मे पर्याप्त व संतोषजनक कारण प्रकट कर दिये गये थे। किन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा द्वारा अपीलान्ट की अपील को अवधि मध्य ना मानी जाकर खारिज किये जाने मे भी गंभीर कानूनी त्रुटि की हैं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर न्यायालय जिला कलेक्टर कोटा द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.02.2024 व न्यायालय तहसील लाडपुरा द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.06.2007 निरस्त किये जाकर ग्राम मोतीपुरा पटवार हल्का धाकडखेडी तहसील लाडपुरा कोटा की उक्त अपील विषयक खसरा नम्बर 99 की रकबा 1.00 हैक्टर भूमि पुनः अपीलान्ट के खाते दर्ज किये जाने का अनुरोध किया गया।

5. रेस्पो0 पेरोकार सरकार द्वारा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय न्यायोचित होना जाहिर किया गया।

6. हमने अपील एव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 पेरोकार सरकार पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन करने से प्रकट होता है कि तहसीलदार लाड़पुरा द्वारा प्रकरण संख्या 337/06 अन्तर्गत 90ए एलआरएक्ट का प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थी जानकीलाल (अपीलांट) को आदेशिका दिनांक 23.12.2006 से नोटिस जारी किया गया। उक्त नोटिस की पालना में अप्रार्थी जानकीलाल (अपीलांट) तारीख पेशी दिनांक 29.12.2006 को तहसीलदार, लाड़पुरा के समक्ष उपस्थित रहा है तथा उक्त नोटिस के क्रम में जवाब प्रस्तुत कर उक्त आशय की कार्यवाही को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया। तत्पश्चात् जवाब प्रस्तुत करने के उपरांत अप्रार्थी जानकीलाल के अनुपस्थित रहने पर प्रकरण में कोई साक्ष्य व दस्तावेज पेश नहीं किये जाने पर रिपोर्ट पटवारी अनुसार खातेदार के द्वारा खाते की भूमि मे मिट्टी खुदाई कार्य कार्य को अकृषि कार्य किया जाना मानते हुए तदनुसार भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धराा 91 की सपठित धारा 90ए अन्तर्गत उक्त भूमि से बेदखल किया जाकर 389 रूपये शास्ति आरोपित कर कृषि भूमि को अकृषि कार्य में लेने के फलस्वरूप सिवायचक दर्ज किये जाने का आदेश दिनांक 04.06.2007 पारित किया गया। अपीलांट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, कोटा के समक्ष तहसीलदार, लाड़पुरा के प्रकरण संख्या 337/06 में पारित आदेश दिनांक 04.06.2007 के विरूद्ध भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 अन्तर्गत अपील पेश किये जाने पर अधीनस्थ न्यायाालय द्वारा अपील अपीलांट स्वीकार करने

आयुक्त
कोटा

के ठोस आधार पत्रावली पर उपलब्ध नहीं होने से तथा मियाद बाहर होने से अपील अस्वीकार की जाकर निर्णय दिनांक 13.02.2024 से खारिज की गई। न्यायालय हाजा में प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट का मुख्य तर्क है कि अपीलान्ट उक्त भूमि जो बंजड एवं उबड़–खाबड़ अवस्था मे है, को समतल कर काश्तकार्य योग्य बनाना चाहता है उक्त भूमि अपीलान्ट की खरीदशुदा भूमि है, जिसका अपीलान्ट काश्तकार है। मिट्टी खुदाई का कार्य 90ए की परिधि में नहीं आता है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लाडपुरा द्वारा अपीलान्ट को उक्त प्रकरण मे कोई भी जानकारी नही दी गई और ना ही उसे सुनवाई का अवसर दिया और मनमर्जी व एक तरफा रूप से अपीलान्ट की अनुपस्थिति मे दिनांक 04.06.2007 को अपीलान्ट की भूमि को सिवायचक दर्ज करने का आक्षेपित आदेश पारित कर दिया।

7. इस प्रकार उपरोक्त विवेचनानुसार प्रश्नगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.02.2024 उचित प्रकट होता है, क्योंकि अपीलांट द्वारा ना तो अधीनस्थ न्यायालय में एवं ना ही इस न्यायालय मे ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया है, जिससे अपील मीमो के कथनों की पुष्टि होती हो। अपीलांट द्वारा काश्त करने बाबत् भी कोई साक्ष्य पेश नहीं किए गए। असाधारण विलम्ब होने पर विलम्ब का संतोषप्रद प्रकरण भी बताया जाना आवश्यक होता है, जो नहीं बताने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील मियाद बाहर मानी गयी, जिसमें कोई विधिक त्रुटि प्रकट नहीं होता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित होने से अपील प्रकरण में हम किसी प्रकार का विधिक एवं तथ्यात्मक दोष नहीं पाते है। लिहाजा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, कोटा द्वारा प्रकरण सं0 58/2022(अपील) उनवान जानकी लाल बनाम तहसीलदार लाड़पुरा में पारित निर्णय दिनांक 13.02.2024 न्यायोचित होने से किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं है। परिणाम स्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन/बलहीन होने से खारिज की जाती हैं।

8. निर्णय आज दिनांक 24.04.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर जारी किया गया।

24/04/2025

(ममता कुमारी तिवारी)
अति0संभागीय आयुक्त
कोटा

अति. स. आयुक्त
कोटा